

सुधा दुग्ध जन्य एवं अन्य उत्पादों के परिवहन संवेदक हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

(हाल के पासपोर्ट
आकार का रंगीन
फोटो चिपकाएँ)

1. आवेदित क्षेत्र का नाम एवं पथ सं० :

(कृपया उस आवेदित क्षेत्र व पथ संख्या का नाम लिखें जिसके परिवहन संवेदक हेतु आवेदन दिया जा रहा है। विवरण क्षेत्र एवं पथ संख्या की सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न की गयी है।)

2. फार्म का नाम (यदि हो) :
 3. फार्म की स्थिति :
- (व्यक्तिगत फार्म/प्राइवेट लि० कंपनी/अन्य)

4. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में):
5. आवेदक के पिता/पति का नाम:
6. आवेदक का पता

- (क) वर्तमान पता :
- (ख) वर्तमान पता :

(कृपया क्रम संख्या 6 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की यथा-आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि का स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

7. मोबाईल नम्बर : ईमेल :
 8. आवेदक का आधार कार्ड सं० :
- (कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

9. पैन कार्ड नम्बर :
- (कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

10. जी.एस.टी नम्बर :
- (कृपया जी.एस.टी का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

11. एफ.एस.एस.ए.आई नम्बर :
- (कृपया एफ.एस.एस.ए.आई का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

12. शैक्षणिक योग्यता :
(कृपया शैक्षणिक योग्यता का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)
13. निविदा में आमत्रण हेतु अग्रधन राशि :
(आवेदनकर्ता निर्धारित अग्रधन की राशि 10,000.00 (दस हजार) रु० का डिमांड ड्राफ्ट जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के नाम पर निर्गत एवं भुगतयेय मुजफ्फरपुर में हो संलग्न करें।)
डिमांड ड्राफ्ट की विवरणी: बैंक का नाम :
शाखा का नाम :
ड्राफ्ट सं० :
राशि (रुपये में):
14. निविदादाता का कार्य अनुभव: वर्ष: माह
(निविदादाता एम.एम.सी.जी या समतुल्य उत्पादों के अनुभवों की विवरणी दर्ज करेंगे।)
15. वर्तमान में किया जा रहा समतुल्य कार्य की विवरणी:-

कंपनी का नाम/व्यक्ति का नाम	कार्य शुरू करने का वर्ष	आवेदक का व्यवसाय से विगत तीन वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर (करोड़ में)		
		2021-22	2022-23	2023-24

16. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता :
(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रु० 5,00,000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा- फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)
17. वर्तमान में निविदादाता के पास उपलब्ध आधारभूत संरचना की विवरणी:-
क. कार्यालय के लिए उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) :
ख. गोदाम के लिए उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) :
ग. कोल्ड स्टोरेज/डीपफ्रीजर की सं० एवं क्षमता :
.....
.....
.....

घ. कुल कर्मचारियों की सं० (चालक/सहचालक/अन्य) :

.....

.....

ड व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल वाहनों की कुल सं० एवं उनके प्रकार :-
 वाहनों की कुल संख्या :
 वाहनों का प्रकार :
 (वाहन 04 वर्षों से कम अवधि का हो)
 वाहन स्वयं की है या अनुबंधित (विवरणी दें):
 वाहन की मॉडल संख्या एवं पंजीयन संख्या (विवरणी दें):

 वाहन की भार क्षमता (विवरणी दें):
 वाहन छः तरफ से इन्सुलेटेड है या नहीं (विवरणी दें):
 (वाहनों का इन्सुलेशन न्यूनतम 40 एम.एम. मोटा थर्मोकोल अथवा 1.60 इंच मोटा पफ मेटेरियल युक्त अवश्य होना चाहिए)।
 वाहन में रेफ्रिजेटेड इकाई लगा है या नहीं (विवरणी दें):

- नोट: 1. सुधा परिवहन संवेदक हेतु आवेदन करने से पहले निविदादाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़, समझ लें।
2. निविदादाता को सभी अनिवार्य शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगे।
3. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं निविदा नहीं खोला जायेगा।

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

निविदादाता हेतु आवश्यक जानकारियों, दिशा-निर्देश एवं निविदा की नियम एवं शर्तें।

1. निविदादाता निविदा भरने के पूर्व निविदा भरने की संबंधित जानकारी, दिशा-निर्देश, निविदा के नियम व शर्तें को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेंगे।
2. सुधा दुग्ध जन्य पदार्थों (दही, पनीर, लस्सी, रसगुल्ला, पेड़ा व अन्य मिठाईयों) के साथ-साथ अन्य उत्पादों के परिवहन संवेदक हेतु खुली निविदा का विज्ञापन प्रकाशन, आमंत्रण व आवंटन की प्रक्रिया तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० (तिमुल) द्वारा संपादित की जायेगी।
3. तिमुल के वेबसाइट www.sudhatimul.com पर उपलब्ध रहेगा। वेबसाइट से प्रपत्र लेने पर 1000/- रु० का डी०डी० तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर में देय आवेदन के साथ लगाना होगा या कार्यालय से 1000/- रु० का नकद जमा कर लेना होना जिसका M.R आवेदन में संलग्न करना होगा।
4. इच्छुक निविदादाता विहित प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं। वैसे निविदादाता जिन्हें शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों अथवा एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का कार्य का अनुभव प्राप्त हों, को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. परिवहन क्षेत्र की सूची निविदा प्रपत्र में संलग्न है। निविदादाता एक से अधिक परिवहन क्षेत्र हेतु अलग-अलग आवेदन दे सकते हैं, परंतु सफल पाये जाने पर उन्हें कोई एक ही क्षेत्र दिया जा सकता है।
6. निविदादाता निविदा फॉर्म को भर कर उसमें माँगी गयी जानकारियों का ब्यौरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। निविदा को एक लिफाफा में सील बंद करते हुए तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर के निम्न पते पर निर्धारित अवधि के अन्दर कुरियर/डाक द्वारा अवश्य भेजेंगे।
पता:- प्रबंध निदेशक
तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०,
पो०- कोल्हुआ पैगम्बरपुर
जिला-मुजफ्फरपुर -843108 (बिहार)
दूरभाष सं०: एम०डी० (सेल) 7070992986 / 7070993000 (9.30AM से 5.30 PM तक)
मेल आईडी: tirhutnin@gmail.com
7. आवेदक अपने लिफाफे पर "सुधा उत्पादों के परिवहन हेतु निविदा" एवं आवेदित क्षेत्र का नाम के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाईल न०/दूरभाष सं० अवश्य लिखेंगे।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. सशर्त, तार, फैंक्स, ई-मेल द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. तिमुल को निविदा को संशोधित करने, आंशिक या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. निविदा खोलने की तिथि के दिन यदि अवकाश घोषित हो तो निविदा अवकाश के बाद के कार्यालय दिवस के दिन खोला जायेगा।
12. निविदा के खुलने के समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। अधिकृत प्रतिनिधि के शामिल होने की दशा में प्रतिनिधि को निविदादाता द्वारा निर्गत अधिकृत पत्र निविदा खोलने के समय जमा करना होगा।

13. प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जाँच (स्कूटनी) तिमुल के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। समिति की अनुशंसा आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रबंध निदेशक, तिमुल अधिकृत होंगे।
14. चयनित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज तिमुल के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।
15. तिमुल द्वारा परिवहन संवेदक बनाने का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन एवं राज्य के लोगों को आजीविका उपलब्ध कराना है, अतएव ऐसे निविदादाता जिनके पास या उनके नजदीकी संबंधी (पति, पत्नी, पिता, पुत्र या पुत्री) के पास यदि पूर्व से कोई सुधा मिल्क पार्लर आवंटित है तो वितरण कार्य शुरू करने के पूर्व उन्हें सुधा मिल्क पार्लर को सरेन्डर करना अनिवार्य होगा। निविदादाता के पास या उनके नजदीकी संबंधी (पति, पत्नी, पिता, पुत्र या पुत्री) के पास सुधा मिल्क पार्लर का आवंटन रहने के दौरान वितरक नहीं बनाया जायेगा।
16. निविदादाता के पास या उनके नजदीकी संबंधी (पति, पत्नी, पिता, पुत्र या पुत्री) के पास पूर्व से कोई सुधा मिल्क पार्लर आवंटित होने की दशा में निविदादाता को निविदा फार्म में संलग्न स्वघोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता को परिवहन संवेदक हेतु अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा में शामिल होने मात्र से वितरक का चयन होगा नहीं माना जा सकता है।
18. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को कॉम्फेड द्वारा औपबंधिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत किया जायेगा। चयनित निविदादाता को सुरक्षा राशि जमा करना, अनुबंध की प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।
19. परिवहन संवेदक आवंटन का आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मानदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आदेश को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।
20. परिवहन संवेदक को तिमुल के साथ रु0 1000/- के नन् ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा संपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप तिमुल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
21. सुधा परिवहन संवेदक का आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु होगी। कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के अन्दर प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं पाये जाने पर इकरारनामा निरस्त करते हुए कार्यादेश रद्द कर दिया जाएगा। तीन वर्ष के पश्चात्, सफलतापूर्वक कार्य संचालन के आधार पर प्रत्येक बार तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है। आवंटन की गणना एकरारनामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी।
22. ऐसे निविदादाता जिन्हें शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों अथवा एम.एम.सी.जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का कार्य के अनुभव प्राप्त है, को परिवहन संवेदक चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। (निविदादाता कार्य अनुभव के सत्यापन हेतु दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
23. निविदादाता जो सुधा उत्पादों के प्रतिस्पर्धी ब्रांड के उत्पादों के वितरण में शामिल है, सुधा उत्पादों के परिवहन संवेदक हेतु चयन नहीं किया जाएगा।

24. पात्रता मानदंड:-

- 24.1 शैक्षणिक योग्यता :- न्यूनतम मैट्रिक पास (प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें।)
- 24.2 उम्र:- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-18 वर्ष (मैट्रिक पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर उम्र की गणना की जायेगी।)
- 24.3 पैन कार्ड:-
(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)
- 24.4 जी.एस.टी नम्बर :
(कृपया जी.एस.टी का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)
- 24.5 आधार कार्ड सं0: :
(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)
- 24.6 अग्रधन राशि:- निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन की राशि रु0 10,000.00 (दस हजार) निर्धारित है डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, के नाम से मुजफ्फरपुर हो, संलग्न करना होगा। आवेदक को प्रत्येक विपणन क्षेत्र हेतु अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ अलग-अलग करना अनिवार्य है।
- 24.7 वित्तीय योग्यता:- (व्यवसाय हेतु आवेदन के पास न्यूनतम राशि रु0 5,00,000/- (पाँच लाख) होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो यथा- फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रु0 5,00,000/- की राशि जमा रहने का प्रमाण (पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं0 दर्ज हो तथा संबंधित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो) या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रुम में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।
- 24.8 निविदादाता को रु0 1000.00 के नन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके या उनके फॉर्म को किसी भी संस्था (सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी) द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है एवं उनके उपर किसी तरह का अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
25. पात्रता मानदंड के तहत बिन्दु सं0-24.1 से 24.8 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदंड शर्तों को पूरा करना होगा। मानदंड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा परिवहन संवेदक के कार्य आवंटन की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
26. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. तिमुल को जमा की गयी अग्रधन की राशि एवं सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा।
28. असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि रु0 10,000/- वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

29. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में बताये गये आधारभूत संरचनाओं की जाँच व समीक्षा की जायेगी। जाँच एवं समीक्षा के उपरांत ही औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।
30. यदि कोई चयनित निविदादाता औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत होने के उपरांत कार्य करने से मना करते हैं तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रु0 10,000.00 (दस हजार) जब्त कर ली जाएगी।
31. निविदादाता के पास व्यवसाय हेतु न्यूनतम राशि रु0 5,00,000/- होना अनिवार्य है (साक्ष्य हेतु दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्नित करें)
32. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) निर्गत होने के उपरांत 15 दिनों के अन्दर सुरक्षा राशि जो पथवार तय है। ड्राफ्ट/बैंक गारंटी मूल्य रूप में तिमुल मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि रु0 10,000/- (दस हजार) को सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे रुपये चयनित निविदादाता को जमा करना होगा।
33. चयनित निविदादाता को परिवहन कार्य शुरू करने के पूर्व एकरारनामा संपादित करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा का प्रारूप निविदा प्रपत्र तिमुल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
34. चयनित निविदादाता को आवंटित वितरण कार्य क्षेत्र के अंदर ही अपना कार्यालय अनिवार्य होगा।
35. निविदादाता एक से अधिक विपणन क्षेत्र हेतु आवेदन दे सकते हैं। एक से अधिक विपणन क्षेत्र में आवेदन करते समय निविदादाता को विपणन क्षेत्र निविदा प्रपत्र, अग्रधन की राशि एवं आवश्यक सभी कागजातों को प्रत्येक आवेदित क्षेत्र के अनुरूप अलग से संलग्न करने होंगे। परंतु निविदादाता को अंतिम रूप से किसीएक विपणन क्षेत्र का परिवहन संवेदक ही बनाया जायेगा।
36. आवश्यकता पड़ने पर तिमुल को अपने व्यापार हित में वितरण क्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा। परिवहन संवेदक को दूसरे क्षेत्र में सुधा प्रोडक्ट परिवहन करने का आदेश दिया जा सकता है जो वितरक द्वारा मान्य होगा।
37. निविदादाता को पैन नं0, आधार कार्ड, एफ.एम.एस.ए.आई की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
38. निविदादाता के पास परिवहन संवेदक के कार्य संपादन हेतु उपलब्ध रेफ्रीजरेटेड/इन्सुलेटेड गाड़ियों की संख्या व उनकी क्षमता, कोल्ड स्टोरेज/डीपफ्रीजर की संख्या एवं उनकी क्षमता/कोल्ड रुम की क्षमता आदि का विवरणी स्पष्ट रूप से आवेदन फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
39. दुग्ध जन्य उत्पाद का परिवहन कार्य आवंटित होने पर सभी दुग्ध जन्य पदार्थ प्रतिदिन रेफ्रीजरेटेड/इन्सुलेटेड गाड़ी से जिसकी क्षमता 800-1200 किलो (बड़ा ऑटो अथवा टावा एसे/महिन्द्रा पियाजियो या उसके समकक्ष गाड़ी) की होनी चाहिए जिसमें बॉक्स रख कर दही, पनीर, सुरभि, लस्सी आदि बिक्रेताओं के बीच वितरण करना होगा। वाहनों का इन्सुलेशन न्यूनतम 40 एम.एम. मोटा थर्मोकोल अथवा 1.60 इंच मोटा पफ मेटेरियल युक्त अवश्य होना चाहिए।

40. सामान्यतः प्रोडक्ट की डिलिवरी जो मुज0 डेयरी में उत्पादित किए जाते हैं, संध्या 06 बजे से 12 बजे रात्रि तथा मोतिहारी/बेतिया/गोपालगंज डेयरी में उत्पादित किए जाने वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रातः 03 बजे दिन के बीच की जायेगी। सड़क मार्ग अवरुद्ध रहने तथा मशीनों की खराबी के कारण प्रोडक्ट की डिलेवरी के समय में परिवर्तन हो सकता है जो आपको मान्य होंगे।
41. प्रोडक्ट का डिमांड विभिन्न संघों को भेज दिए जाने के पश्चात् उसकी आपूर्ति स्वीकार करने की जिम्मेवारी आपकी होगी।
42. प्रोडक्ट के समुचित रख-रखाव में कमी तथा कोल्ड चेन नहीं मेन्टेन करने की स्थिति से प्रोडक्ट खराब होने पर उसकी सारी जवाबदेही संबंधित परिवहन संवेदक की होगी।
43. एक्सपायरी डेट के अंदर यदि कोई प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं तो उसकी वापसी स्वीकार की जायेगी और संबंधित उत्पादित संघ को कार्यालय द्वारा भेज दिया जायेगा परंतु उत्पादित संघ द्वारा रिलेसमेंट संबंधी लिये गये निर्णय आपको मान्य होगा।
44. डिमांड के विरुद्ध यदि कोई प्रोडक्ट की आपूर्ति कम मात्रा में की जाती है तो उसके मूल्यों का समायोजन प्रोडक्ट आपूर्ति के विरुद्ध किया जा सकता है।
45. परिवहन संवेदक द्वारा वितरण के लिए पर्याप्त संख्या में कॉफेड द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप इन्सुलेटेड ओटो रखना अनिवार्य होगा। परिवहन संवेदकों को कम से कम चार की संख्या में डीप फ्रीज (500 लीटर या उससे अधिक क्षमता के) अथवा न्यूनतम सौ वर्गफीट क्षेत्रफल का कोल्ड रूम (1 टन से लेकर 1.5 टन क्षमता का) रखना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार ऑटो तथा डीप फ्रीज की संख्या आपको बढ़ानी होगी।
46. व्यवसाय से संबंधित सभी वैधानिक शर्तें पूरी करने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। जीएसटी का भुगतान सेल्स टैक्स/संबंधित विभाग में नहीं करने की दशा में तिमुल यह राशि काटकर/समायोजित कर संबंधित विभाग को भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगी।
47. परिवहन संवेदक द्वारा रिटेलरों को निर्धारित दर पर ही सुधा उत्पादों की बिक्री करना होगा।
48. माल परिवहन गाड़ियों पर कार्यरत चालक एवं लोडर हमेशा नीला रंग का पैंट एवं शर्ट, जिस पर सुधा का लोगो होगा, परिवहन संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
49. वितरण कार्य आरंभ होने से पहले तिमुल द्वारा परिवहन संवेदक द्वारा तैयार किये गये अथवा घोषित किये गये आधारभूत संरचना यथा- इन्सुलेटेड गाड़ियाँ, डीप फ्रीजर की संख्या व उनकी स्थिति, कोल्ड रूम की संख्या एवं स्थिति, उपलब्ध मानवबल की संख्या, सेल्स मैन् की संख्या, कम्प्यूटर की संख्या एवं स्थिति गोदाम व कार्यालय की स्थिति की जाँच की जा सकती है जाँचोपरांत उसमें बदलाव व सुधार हेतु बताये गये बिन्दुओं पर चयनित परिवहन संवेदकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।
50. परिवहन कार्य के वितरण में प्रयुक्त वाहन का तिमुल के द्वारा किए गए डिजाईन के अनुसार पेंटिंग कराया जाएगा। वाहन के पेंटिंग के पश्चात् वाहन के जाँच हेतु वाहन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात की प्रति के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। पेंटिंग पर होने वाला व्यय परिवहन संवेदक द्वारा भी किया जा सकता है।
51. तिमुल अथवा कॉम्फेड के अधिकारी एवं पदाधिकारी परिवहन संवेदक द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों की जाँच, वाहनों से संबंधित कागजातों में लाये जा रहें आधारभूत संरचना की जाँच के अतिरिक्त डिस्पैच रजिस्टर एवं खातों की जाँच किया जा सकता है।

52. यदि किसी परिवहन संवेदक के वितरण के क्षेत्रों में सुधा उत्पादों की आपूर्ति सफल नहीं किया जाता है तो दोषी परिवहनकर्ता को चेतावनी पत्र या जुर्माना या दोनों लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए कार्य समाप्ति के साथ-साथ अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है:-
- क. परिवहन संवेदक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।
 - ख. यदि परिवहन संवेदक द्वारा सुधा के वितरण हेतु सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।
 - ग. यदि परिवहन संवेदक कर्मियों द्वारा वितरणकों/कॉम्पेड के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।
 - घ. यदि परिवहन कार्य को उप-पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।
 - ङ. यदि परिवहने संवेदक द्वारा सुधा उत्पादों हेतु निर्धारित रिटेलर दर से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।
 - च. यदि आवंटित क्षेत्र में सुधा उत्पादों का वितरण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।
 - छ. यदि संवेदक द्वारा तिमुल के अनुमति के बगैर किसी दूसरे परिवहनकर्ता के क्षेत्रों में उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।
53. परिवहन संवेदक द्वारा परिवहन कार्य सरेंडर करने की स्थिति में तिमुल को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी। तिमुल को परिवहन कार्य समाप्त करने हेतु भी परिवहनकर्ता को तीन महीने पूर्व नोटिस देना होगा। परंतु विशेष परिस्थिति में तिमुल परिवहन संवेदक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
54. अगर परिवहन संवेदक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के परिवहन का कार्य बंद कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में परिवहन संवेदक द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि को तिमुल द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
55. परिवहन कार्य समाप्ति की दशा में तिमुल द्वारा परिवहन संवेदक को दिये गये सभी संपत्तियों यदि डीपफ्रीजर इन्सुलेटेड बॉक्स आदि को वापस करना होगा। परिवहन संवेदक द्वारा इन संपत्तियों को वापस नहीं किये जाने पर परिवहन संवेदक से उसकी क्षतिपूर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती कर ली जायेगी।
56. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की दशा में विवाद का निपटार मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम-1996 (Arbitration & Conciliation Act - 1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी मामलो की दशा में न्यायिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर



तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर
TIRHUT DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., MUZAFFAPUR
AN ISO 22000:2005 & HACCP SYSTEM CERTIFIED
ORGANISATION, P.O.-KOLHUA PAIGAMBARPUR, MUZAFFARPUR-
843108(BIHAR)



Email: timulmarketing@gmail.com, www.sudhatimul.in

परिवहनकर्ता हेतु प्रपत्र

वित्तीय/प्राईस बीड
(कृपया मूल प्रति में ही बीड भरें एवं जमा करें)

- (1) डेयरी का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है) :-
- (2) आवेदक का पूरा नाम :-
- (3) उक्त कार्य करने हेतु न्यूनतम परिवहन दर प्रति लीटर = रू0 पै0 प्रति लीटर (शब्दों में
..... रू0 पैसे) ।

-----सत्यापन-----

मैं/ हम घोषणा करता/करती हूँ कि जो भी सूचना प्रपत्र में अंकित की गई है वह हमारी जानकारी में सत्य है । अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना/जानकारी असत्य साबित हो जाती है तो मेरी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायगी ।

स्थान :-

निविदादाता का हस्ताक्षर
(ऑफिस मुहर के साथ)

दिनांक :-

नोट:- इस प्रपत्र को अलग लिफाफा में भरकर जमा करें ।